बिहार विधान सभा वादवृत्त

(भाग-१ कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

मंगलवार, तिथि ३० जून, १९८१ ई०।

विषय-सूची। पृष्ठ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : १०५, १०६, १०७, १०८, ११०, १११, ११२, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२२, १२३, १२९, १४७, और २६३। १—२८

परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) .. .. ३१—८८

दैनिक निबंध .. .. .. ८९—९०

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है, उनके नाम के आगे (*) चिन्ह लगा दिया गया है।

श्री मिश्री सदा—क्षमता के अनुसार सरकार बस सेवा बढाना चाहेगी।

श्री ब्रज किशोर नारायण सिंह—क्या यह बात सही है कि जो वर्त्तमान बस वहां चल रही है, उसमें कपेसिटी से आठ गुना अधिक टिकट कट रहा है, इसको देखते हुए सरकार वहां बस की संख्या बढाना चाहती है?

पुल का निर्माण

*११९। श्री वृशिण पटेल—क्या मंत्री, ग्रामीण अभियंत्रण संठन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली प्रखंड से होजपुरा घाट के बाया नदी पर पुल नहीं रहने के कारण दस पंचायत एक दूसरे से कट जाते हैं और दो किलोमीटर की दूरी को १४ किलोमीटर घुम कर तय करनी पड़ती है;

(२) क्या यह बात सही है कि कृष्ण नगर से मझौलिया सड़क भाया होजपुरा घाट "क्रैस योजना" के अन्तर्गत तथा मोना से पुरखौली सड़क भाया होजपुरा घाट भी ग्रामीण अभियन्त्रण संगठन द्वारा स्वीकृत है;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार होजपुरा घाट पर पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि 'हां', तो कबतक नहीं', तो क्यों?

श्री राजो सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। प्रश्नाधीन पथ का कृष्ण नगर, होजपुरा, मझौली पथ तथा मोना पुखौली पथ का मोना (भटोलिया) होजपुरा अंश ही स्वीकृत है।

(३) इस घाट पर लगभग १५० फीट लम्बा पुल बनाना पड़ेगा जिस पर लगभग १६ लाख रुपया व्यय होगा। अर्थाभाव के कारण पुल का निर्माण कराना संभव नहीं है।

श्री वृशिण पटेल—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने मेरे प्रश्न के प्रथम खंड के उत्तर में कहा है कि उत्तर स्वीकारात्मक है। और फिर कह रहे हैं कि अर्थाभाव है तो मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि क्या ऐसा कोई कार्यक्रम बन सकता है जिससे तत्काल वहां लकड़ी के पुल का निर्माण हो सके।

श्री राजो सिंह--मैंने इसकी भी जांच करायी है। लकड़ी के पुल बनाने में ६ लाख रुपये खर्च होंगे, अगर लकड़ी के पुल से काम चल सकता है तो सरकार बना सकती है।

श्री वृशिण पटेल--लकड़ी का पुल ही बना दीजिए, काम चल जायगा।

बसों में 'विधायक सीट' लिखा जाना

*१२२। श्री श्रीनारायण यादव--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(१) क्या यह बात सही है कि पूर्व में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस के सीट पर "विधायक सीट" लिखा रहता था;

(२) क्या यह बात सही है कि अब बसों में विधायक सीट नहीं लिखा रहने के कारण विधायकों को यात्रा करने में दिक्कत होती है;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो, क्या सरकार राज्य पथ परिवहन निगम के बसों में "विधायक सीट" लिखवाने का विचार रखती है, 'नहीं', तो क्यों?

श्री मिश्री सदा--(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) ऐसी बात नहीं है कि निगम की बसों में अब विधायक सीट नहीं लिखा रहता है, परन्तु ऐसा हो सकता है कि कुछ एक बसों में विधायक सीट लिखना छूट गया हो जिसके चलते कभी किन्हीं माननीय सदस्य को यात्रा करने में दिक्कत हुई हो।

(३) निगम के द्वारा पुनः प्रमण्डलीय प्रबन्धकों को यह निदेश दोहराया गया है कि वे इसे सुनिश्चित करें कि विधायकों के लिये निर्धारित सीट तथा पूर्व अनुदेश सुरक्षित रहे तथा उनके लिये सुरक्षित सीट पर विधायक सीट अंकित रहे।

बी० डी० ओ० का स्थानान्तरण

*१२३। श्री जयप्रकाश नारायण यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(१) क्या यह बात सही है कि किसी भी पदाधिकारी को नियमानुसार ३ वर्ष तक ही एक स्थान पर पदस्थापित रहना है;